



एम्स/राजकोट/प्रशा./परिपत्र/2024-25/7162

दिनांक- 19/12/2024

परिपत्र

विषय: वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करने से संबंध में दिशा-निर्देश

सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18 के अनुसार, सभी सरकारी अधिकारियों को अपने, अपने पति या पत्नी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास मौजूद अचल संपत्ति (आईपीआर) का वार्षिक विवरण जमा करना आवश्यक है। परिवार की परिभाषा भी उपर्युक्त सीसीएस नियमों में दी गई है।

इस प्रकार, **सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18** के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश परिचालित किए जा रहे हैं:

1. एम्स राजकोट में किसी भी पद पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को वार्षिक संपत्ति विवरण (संलग्न प्रारूप) को भरकर जमा करना होगा।
2. पिछले कैलेंडर वर्ष के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण **प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक** जमा किया जाना चाहिए।
3. उपरोक्त एपीआर जमा न करने वालों को सतर्कता मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा और वरिष्ठ स्तर के पद के लिए पैनल में शामिल होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
4. जानकारी को जानबूझकर छुपाने के मामलों में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(डॉ. कुलदीप जी बी)

स्थानापत्र उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यवाहक उप निदेशक (प्रशा.)
Offg Deputy Director (Admin.)
एम्स राजकोट - 360 001, गुजरात.
AIIMS Rajkot - 360 001, Gujarat.

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक के निजी सहायक एम्स-राजकोट
2. डीन (संकायाध्यक्ष), एम्स-राजकोट
3. प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी, एम्स-राजकोट
4. आईटी सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
5. कार्यालय फ़ाइल

नोट: किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।